महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्याः ३६ /७८-२-२०१०/५३-आई.टी./०८

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ लखनऊ दिनॉक : 10 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, २०१०

विषयः- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी)योजना में इलेक्ट्रानिक फार्म (ई-फार्म्स) द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदत्त करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर को अनुमन्यता।

महोदय,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जनसामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी सेंवाओं (जी२सी सेवायें) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी)योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में १७६०६ जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं (जी२सी सेवायें) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में *पंचायतीराज, राजस्व, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग* की कुल ३५ सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम् द्वारा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

२. उक्त हेतु विभिन्न प्रकार की चयनित सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों में (जनपद स्तर के विभागों को सम्मिलित करते हुए) में सक्षम स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण इलेक्ट्रानिक प्रोसेस द्वारा किया जाना है तथा सक्षम स्तर द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति/स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही दी जाएगी जिनके लिए उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाएगा।

३. उक्त के सम्बन्ध में मुझेयह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर एवं इससे सम्बन्धित प्रक्रिया को अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

क्रमशः..२...

संख्याः- 36 (1)/७८-२-२०१० तददिनॉक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, राजस्व, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, नगर विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उ.प्र. शासन को इस अनुरोध के साथ कि विभाग से संबंधित उक्त अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
२. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. उप महानिदेशक एवं एसआईओ, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश।
४. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
५. योजना के कन्सलटेन्ट मै. आई.एल. एण्ड एफ.एस.।
६. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार तिवारी)
अनु सचिव